उ0प्र0 क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन नियोजन प्राधिकरण (कैम्पा) की गवर्निंग बॉडी की बैठक दिनांक 01–3–2011 का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित मा0 सदस्यों/अधिकारियों की सूची संलग्न है। मा0 मुख्यमंत्री जी के द्वारा अधिकृत मा0 वनमंत्री जी ने इस बैठक की अध्यक्षता की।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–1

प्रस्तावना :–

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक है। भारत सरकार कतिपय शर्तो के अधीन वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भी वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा वर्तमान भूमि का मूल्य (नेट प्रेजन्ट वैल्यू) वन विभाग को दिये जाने की अतिरिक्त शर्त लगाये जाने के निर्देश दिये हैं। इस प्रकार भारत सरकार, राज्य सरकार एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के शर्तो के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु निम्न धनराशि प्रदान की जाती है:–

86799

का०–मु० व० सं० ... निधि प्र० एवं नियो० प्राधि० कैम्पा
संख्या 1359
फाइल संख्या 1451
दिनांक 11–03–11

CF(Campa)

1– क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि।
2– नेट प्रेजेन्ट वैल्यू(भूमि का वर्तमान मूल्य)।
3– वन्य जीव प्रबन्धन हेतु धनराशि।
4– मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश व अन्य विशेष शर्तों के अधीन धनराशि दिया जाना।

10/3

2– इस धनराशि के नियोजन हेतु राज्य स्तरीय उ0प्र0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन प्राधिकरण का गठन किया गया है जो भारत सरकार के द्वारा दिशा–निर्देश पर आधारित है। इसी दिशा निर्देश में उल्लिखित बिन्दुओं का समावेश करते हुए उ0प्र0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन प्राधिकरण का गठन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत किया गया है।

3– प्राधिकरण की प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 29–12–2010 द्वारा वार्षिक कार्ययोजना 2010–11 एवं 2011–12 तैयार की गयी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति की बैठक दिनांक 17–1–2011 द्वारा उक्त वार्षिक योजना अनुमोदित की गयी। उक्त अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर वार्षिक बजट के अनुमोदन हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया है।

4– वर्ष 2010–11 में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देश के कम में भारत सरकार द्वारा रू0 47.09 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सदस्य सचिव के रूप में प्रमुख सचिव, वन द्वारा समस्त सम्मानित सदस्यों/अधिकारियों को अवगत कराया गया। गवर्निंग बाडी उपरोक्त तथ्यों से अवगत हुए।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–2

बजट वित्तीय वर्ष 2010–11 का अनुमोदन

उ0प्र0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन प्राधिकरण की नियमावली के नियम 42 के अनुसार वार्षिक बजट का अनुमोदन किये जाने का प्राविधान है।

क्र0 सं0	मद का नाम	धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3
1	क्षतिपूर्ति वनीकरण अग्रिम मृदा कार्य– क–37 वन प्रभाग में 2013.57 हे0 ख–2 किमी में पंक्ति वृक्षारोपण–	2460.80
2	कैमूर वन्य जीव विहार ट्रस्ट	1000.00
3	अन्य मद क–काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर, चन्दौली रेंन्ज परिसर में दीवार ख–हैण्ड पम्प	2.05
4	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू वनों की सुरक्षा अ–गोरखपुर एवं महराजगंज वन प्रभाग में सुरक्षा खाई के साथ–साथ वाहन चलने हेतु कच्ची सड़क का निर्माण ब–कानपुर प्राणि उद्यान में अवस्थापना विकास। स– गोरखपुर, महराजगंज, सोनभद्र व मिर्जापुर वन प्रभाग में वनों की अग्नि से सुरक्षा द–अस्त्र–शस्त्रों का क्रय य–वाहनों का क्रय	164.125 100.00 83.1172 45.00 416.67014
	अवस्थापना विकास र–भवनों की मरम्मत ल–गोरखपुर वन प्रभाग में भवनों का मरम्मत कार्य व–महराजगंज वन प्रभाग में भवनों का मरम्मत कार्य श–कर्मचारियों हेतु सुविधा स–सौर ऊर्जा प्रकाश संयत्र लगाने बाबत ष–कर्मचारियों हेतु वर्दी ह–कैम्पा कार्यालय हेतु	109.00 52.50 48.78 29.45 75.00 111.572 10.627
	कुल योग	**4708.691**

उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 के बजट का अनुमोदन निवेदित है।

गवर्निंग बाडी ने उपरोक्त बजट का अनुमोदन किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–3
बजट वित्तीय वर्ष 2011–12 का अनुमोदन

उ0प्र0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन प्राधिकरण की नियमावली के नियम 42 के अनुसार वार्षिक बजट का अनुमोदन किये जाने का प्राविधान है।
प्रस्तावित बजट का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	मद का नाम	धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3
1	क्षतिपूर्ति वनीकरण अ–पौधारोपण ब–अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	 529.558 5.00
2	मानव वन्य जीव द्वन्द	89.63
3	वनों की सुरक्षा अ–वन अग्नि सुरक्षा ब– वन सीमाओं का सीमांकन व सीमा स्तम्भ लगाना।	 5.1954 825.75
4	अवस्थापना विकास अ–वन चौकियों, वन रक्षक, वन दरोगा आवास, वन क्षेत्राधिकारी आवास एवं कार्यालय निर्माण ब–गोरखपुर वन प्रभाग में वन चौकियों, वन रक्षक, वन दरोगा आवास, वन क्षेत्राधिकारी आवास एवं कार्यालय निर्माण स– गोरखपुर वन प्रभाग में वन चौकियों, वन रक्षक, वन दरोगा आवास, वन क्षेत्राधिकारी आवास एवं कार्यालय निर्माण	 692.20 199.05 199.05
5	कैम्पा कार्यालय का संचालन।	2.928
6	अन्य मद काशी वन्य जीव प्रभाग में एक वन रेंज कार्यालय का निर्माण	 5.01983
	कुल योग	**2553.381**

उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 के बजट का अनुमोदन निवेदित है।

एजेन्डा बिन्दु सं0–3(एक)

वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू0 2553.381 लाख के अतिरिक्त लगभग रू0 5000.00 लाख के भी बजट का प्राविधान कराने हेतु अनुमोदन प्रस्तावित है, जिसकी वार्षिक कार्ययोजना बनाकर स्टीयरिंग कमेटी से अनुमोदन कराते हुए भारत सरकार को भेज दी जाय।

गवर्निंग बाडी द्वारा उपरोक्तानुसार वर्ष 2011–12 का बजट का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–4

अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष की अनुमति से।

मा0 अध्यक्ष की अनुमति से निम्न प्रस्ताव सदस्य सचिव द्वारा रखा गयाः—

कैम्पा के कार्यो के प्रभावी अनुश्रवण हेतु भौतिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा हेतु विवरण मासिक रूप से प्रथम सप्ताह में मा0 उपाध्यक्ष गवर्निंग बाडी कैम्पा को प्रस्तुत किया जाये।

गवर्निंग बाडी ने उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

बैठक सधन्यबाद के साथ सम्पन्न हुई।

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग—2
संख्या— 476 /14—2—2011—600(4)/2009
लखनऊ, दिनांक, 08 मार्च,2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः—

(1)— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री (श्री डी0एस0 मिश्र) उ0प्र0 शासन।

(2)— विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री (श्री मुकेश मित्तल) उ0प्र0शासन।

(3)— निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।

(4)— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

(5)— प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन।

(6)— प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।

(7)— प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।

(8)— प्रमुख वन संरक्षक, (वन्य जीव) उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव